

## नगर पालिक निगम कार्यालय

(भवन निर्माण अनुज्ञा शाखा)

पंजाब नं. 107171

## भवन निर्माण अनुमति प्रमाण-पत्र

(भसि विकास नियम 1984/88 के नियम क्रमांक 27 के अधीन)

क्रमांक : १८०७/१/...../भत्तन अंगुजा/उत्तर/दक्षिण  
प्रति.

दिनांक १८७५

श्रीमता ममता पात थो सुगंज गर्मा, स्व श्रीमता योगिता पात मंगलेश पाटील  
पता ५४, स्वास्थ्य नगर बिनय विहार, इन्दौर  
हल प्रम ६६० सदाचार नगर इन्दौर

महोदय,	660, तुपाना नगर, इंदौर	74, स्वास्थ्य नगर (विनय पटेल)
खसरा हं ..... खूबण्ड ग्रामांक ..... वस्ती/मार्ग ..... मोहल्ला/धाजार इन्दौर नगर झोन क्रमांक 11 ..... इन्दौर में भूमि/विकास भूमि/भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए आपके आवेदन क्रमांक ..... 1.6.9.20 दिनांक 2-6-2006 के संदर्भ में आपको सूचित करता है कि प्राधिकरण द्वारा (संयुक्त संचालक नगर तथा आम निवेश इन्दौर के पश्च क्रमांक ..... दिनांक ..... अनुसार स्वीकृति/अधिन्यास एवं उसकी शर्तों के अधीन) निम्नलिखित शर्तों तथा उपर्युक्तों के तहत लाल रंग से किये गये संशोधन अनुसार स्वीकृति/प्रदान की जाती है।		

- जह अनुमति पत्र आवेदन के साथ प्रत्युत भवन स्थान/प्रत्यावासनों पर आस्तीविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, सदामित्व दस्तावेजों के आधार पर ही गयी है। इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार पत्र अनुमति जारीगणना उत्तम शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समर्त जयवादारी आवेदक की स्वयं की होगी। विषया इसके लिए जयवादारी होगा। इस स्वीकृति दिनांक ६-६-२००९ के तूर्चे किया जाये।
  - इस स्वीकृति मानविक्री की एक प्रतिलिपि भए इस दाखले के निमाण स्थानप्रदानाना अनिवार्य होगा।
  - भवन निर्माण का कार्य निमाण से प्राप्त लाइसेंसी सुपरवाईजर, इंजीनियर्स तथा ऑफिटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृत के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। इंजीनियरिंग सेविंग में लिखित आवेदन पर ही यह भवन जारीगणना की उत्तम शपथ सुपरवाईजर, इंजीनियर अथवा भारतीय दी देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्थानी की समर्त अवधि निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा।
  - स्वीकृत मानविक्री में दूसरे पाँकीं स्थल हेतु जो अनुदान पत्र आपको द्वारा निर्गम के पक्ष में लिखा गया, उस अनुदान पार्किंग स्थल का निर्माण कर उत्तर निर्गम को स्वतंत्रतर बनाया होगा, जो कि अतः उत्तर निर्गम प्राप्ति के पश्चात् भवन के रहवासियों को निर्गम सोपान। इस स्वयं के भवन निर्भाव उत्तर पाँकीं स्थल के सुपरियोगदाता द्वारा चुलभूमि अद्वायमन हेतु भी सूचना पट्ट, स्वयं के व्यय संलग्नगता।
  - यह आदासीय भवनों के निर्माण में जल, मल त्रिकोणी हेतु यह अनिवार्य होगा कि यह निर्माणात्मक सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल कल ही निर्माणी साथ स्वीकृति प्राप्त कर, उत्तर लाइसेंसी सुपरवाईजर की अनुमति १५९ के अनुसार यह अवश्यक होगा कि विनायक संस्कार द्वारा के प्राप्त गति निकासात्मक निर्माण की अनुमति देशमें अनुमति निमाण ५५० एम्ब (एनपी ५०) अथवा मोर्टगेज आदासी सी पाँकीं पालाला जारीगणना द्वारा यह निर्माण प्राप्ति भवन स्थल तथा कर कवरा उसी स्थान पर तालियां यह युनिवर्सिटी भवन निर्माणात्मक केवल भूमि विकास निर्गम के ३३ के अनुरूप ही होगा। (उडानपृष्ठ, पाँकीं का प्रत्ययावासनकार्य एवं तथा इसके सलतन निर्माण हेतु।)
  - उपरोक्त स्वीकृति अनुदान आपको भूखंड क्षेत्रफल ११.५ कि.मी. वाली भवन निर्माण के लिए अतः के साथ आयारोपी/दाणिज्यक/ आसुकान्त्र तथा दाणिज्यक/आसुकान्त्र नियमानुसारि उपयोग के अनुसार आपको कुल क्षेत्रफल १.१.१.१.५.० वर्गमीटर प्राप्ति की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उपरोक्त प्राप्ति द्वारा सुनान्यात्मक द्वारा जारी कीरा देना क्र. .... दि. .... रुपय २६६५/- रुसीद क्र. ९७४० दि. .... से जमा किये गये हैं। इनमें भूतन के साथ जीत। तला की स्वीकृति हेतु हार इसके अन्तर्माला शुल्क प्राप्ति द्वारा दिया जाए। कार्यालयों/गर्ती-पौरी उपरोक्त क्षेत्रफल के लिए प्रदान की गई है। उपरोक्त प्राप्ति के अलावा अन्दर उपयोग योजित करना दिया जाए।
  - भूमि विकास नियम निमाण २४ अनुदान द्वारा आदायक होगा कि जीती भूमि प्राप्ति का अनुदान/आतरक वर्तित/परिवर्ती करने के उत्तर पुनर्नियमन विकृति प्राप्ति करना आवश्यक होगा।
  - पद्धति विकास की दृष्टि से, रेन/स्लफ वार्ड हाईस्टर्म एवं वृथारोपण-हेतु नियम काम न १०८ अनुदान शुल्क के साथ राशि क्र. .... आपसे जमा द. वाई गई है। जिससे सार्वजनिक उपयोग के स्थलों पर उत्तर पाँकीं का अनुदान/आतरक वर्तित/परिवर्ती करने के उत्तर पुनर्नियमन विकृति प्राप्ति करना आवश्यक होगा।
  - पद्धति विकास के अधिक रैन/स्लफ वार्ड हाईस्टर्म एवं वृथारोपण-हेतु नियम काम न १०८ अनुदान शुल्क के साथ राशि क्र. .... आपसे जमा द. वाई गई है। जिससे सार्वजनिक उपयोग के स्थलों पर उत्तर पाँकीं का अनुदान/आतरक वर्तित/परिवर्ती करने के उत्तर पुनर्नियमन विकृति प्राप्ति करना आवश्यक होगा।
  - २५० (दो सौ पचास) वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखंड पर वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य स्वयं के व्यय से आपको करना होगा। यह कार्य भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा तथा नगर नियम की वाटर हार्वेस्टिंग शाखा से सत्यापन कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भवन अनुदान शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

अन्य शर्तें :- 1. पुस्तुत मार्नार्दिन भूतल एवं प्रथमतम् आदासीय उपयोग केरु स्वीकृतः प्राप्त ये  
2. गथे तथा लो इत्यर्थि अथवा किसी विवाद या विभाग से भाग द्वारा  
3. पर दी गई स्वीकृते स्वतः ही विरक्त मार्नार्दिन गतिशीलः ।

संग्रहीत/6606

भयन अंगरेजी  
७६

FIRST FLOOR ELEVATION



FIRST FLOOR ELEVATION

1.